न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 14 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. लुम्बाराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति चौधरी निवासी बिठुजा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।	बनाम 1.मोटा पुत्र भूरा 2.उदाराम पुत्र हीरा 3.भेराराम पुत्र हीरा जातियान मेघवाल निवासी बिठुजा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर। 4.हरीराम पुत्र जोगाराम जाति भील, निवासी बिठुजा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर। 5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 77 / 2017 बअनवान मोटाराम वगैरा बनाम लुम्बाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28. 02.2018 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 30.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का प्रार्थना–पत्र महज कयासी दलीलों पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट राजस्व निरक्षक एवं पटवारी द्वारा पेश की गई एकतरफा रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजुदगी में रेस्पोडेंट के कहे अनुसार तैयार की गई। अपीलाधीन आदेश मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 की बताई गई परन्तु उक्त रिपोर्ट न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 21.11.2017 तक पेश ही नहीं की गई एवं बहस सुनने के बाद पत्रावली में लगाकर आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट की भूमि खसरा संख्या 376 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 374 में से अधिक सुविधाजनक एवं छोटा रास्ता चल रहा है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने खसरा संख्या 388 जिसका अपीलार्थी अभिलिखित सह खातेदार है उसमें से रास्ता खसरा संख्या 386, 385 व 384 पर दे रखा है जो मौके पर चल रहा है तथा खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 384 व 376 एक दूसरे से चिपते हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस स्थान पर नया रास्ता उपलब्ध करवाया है उस स्थान पर रास्ता बनाने से बहुत सारे हरे वृक्ष काटने पड़ेंगे जो कतई न्यायोचित नहीं होगा। कानून का यह तय सुदा सिद्धांत है कि जहां आवागमन हेतु पहले से वैकल्पिक रास्ता मोजूद हो तो फिर नया रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच ही नहीं की। उतरदातागण ने झूठे तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया । उतरदातागण ने यह बात अधीनस्थ न्यायालय में छिपाई तथा अपीलांट को परेशान करने की नियत से उक्त रास्ते का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ़ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का प्रार्थना–पत्र महज कयासी दलीलों पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट राजस्व निरक्षक एवं पटवारी द्वारा पेश की गई एकतरफा रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजुदगी में रेस्पोडेंट के कहे अनुसार तैयार की गई। अपीलाधीन आदेश मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 की बताई गई परन्तु उक्त रिपोर्ट न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 21.11.2017 तक पेश ही नहीं की गई एवं बहस सुनने के बाद पत्रावली में लगाकर आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट की भूमि खसरा संख्या 376 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 374 में से अधिक सुविधाजनक एवं छोटा रास्ता चल रहा है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने खसरा संख्या 388 जिसका अपीलार्थी अभिलिखित सह खातेदार है उसमें से रास्ता खसरा संख्या 386, 385 व 384 पर दे रखा है जो मौके पर चल रहा है तथा खसरा संख्या 384 व 376 एक दूसरे से चिपते हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस स्थान पर नया रास्ता उपलब्ध करवाया है उस स्थान पर रास्ता बनाने से बहुत सारे हरे वृक्ष काटने पड़ेंगे जो कतई न्यायोचित नहीं होगा। कानून का यह तय सुदा सिद्धांत है कि जहां आवागमन हेतु पहले से वैकल्पिक रास्ता मोजूद हो तो फिर नया रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच ही नहीं की। उतरदातागण ने झूठे तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया । उतरदातागण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ने यह बात अधीनस्थ न्यायालय में छिपाई तथा अपीलांट को परेशान करने की नियत से उक्त रास्ते का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी जोत सरहद मौजा बिठुजा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 376 रकबा 12.18 बीघा में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि मामले में अपीलांट बार–बार इस दलील पर केन्द्रित रहा है कि मौके पर खसरा संख्या 376 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 374 में से अधिक सुविधाजनक एवं छोटा रास्ता चल रहा है, परन्तु इस संबंध में दिनांक 28.06.2019 को अपीलांट के मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत प्रार्थना–पत्र पर दिये गए अवसर एवं निर्देशों के बावजूद ऐसा कोई अभिलेख अपीलांट की ओर से पेश नहीं हुआ है जो यह साबित कर सके कि कथित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज होकर चालू है। अपीलांट की यह मात्र कोरी कल्पना है। वह प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अपने खेत में से चाहे गए रास्ते को नहीं देने के लिए आमादा है। रास्ते के संबंध में प्रस्तुत फोटो ग्राफ स्पष्ट करते हैं कि रास्ते की भूमि पर केवल बबूल की झाड़िया है, जिन्हें साफ किया जा सकता हे। अपीलांट ने मामले को लंबित रखने के उद्देश्य से एक प्रार्थना–पत्र पेश कर बताया कि वह इस मामले में अभी निस्तारण नहीं चाहता है। उसने इस प्रार्थना–पत्र के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपीलांट के कथनों पर विश्वास किया जा सके कि मामले में पारित आदेश दिनांक 28.06.2019 के विरूद्ध कोई निगरानी प्रस्तुत हुई है। इस प्रार्थना–पत्र के समर्थन में कोई शपथ–पत्र भी नहीं है। इस प्रार्थना–पत्र पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। रेस्पोडेंट पक्ष की आपति है कि वर्षात होने से रेस्पोडेंट को अपने खेत में जाने के लिए रास्ते हेतु एक–एक दिन भारी पड़ रहा है इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मामले में बहस आज ही सुनी जावे ताकि मामला लंबित नहीं हो सके और रेस्पोडेंट पक्ष को उसके कानूनी अधिकारों के तहत प्रदत्त रास्ते के संबंध में निर्णय हो जावे। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलाधीन निर्णय/आदेश का अवलोकन किया। यह निर्णय मौका रिपोर्ट दिनांक 02.04.2017 जो कि तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक राजस्व/2017/510 दिनांक 07.04.2017 से प्रस्तुत हुई, पर विचार पश्चात दिया गया है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि **"खातेदार द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 376 में आने जाने हेतु 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया। उक्त रास्ता प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 375 व 1018/375 में से बिठूजा आसोतरा सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु मांगा गया है जो कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 376 में पहुंचने के लिए कटाण मार्ग या सड़क से सबसे नजदीकी दूरी है।"** इस रिपोर्ट पर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये। इससे स्पष्ट है कि वह रिपोर्ट एकतरफा नहीं होकर उसकी उपस्थिति में तैयार की गई है। रास्ते के संबंध में विधि के प्रावधानों के तहत अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण करने पर इसमें कोई वैधानिक अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती इसलिए इसमें दखल की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 77/2017 बअनवान मोटाराम वगैरा बनाम लुम्बाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner